भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1900
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के अंतर्गत धूसर जल प्रबंधन

†1900. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत धूसर जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश में आवंटित, जारी, उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश में धूसर जल प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत कवर किए गए गांवों का जिला-वार, विशेषकर कोनासीमा जिले में, ब्यौरा क्या है;
(घ) आंध्र प्रदेश में सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट, घेरलू उद्यान, डब्लूएसपी, देवाट्स, निर्मित आर्द्रभूमि और अन्य प्रणालियों सहित निर्मित धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों का जिला-वार, विशेषकर कोनासीमा जिले में, ब्यौरा क्या है;
(ङ) आंध्र प्रदेश में धूसर जल प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक शामिल नहीं किए गए गांवों की जिला-वार, विशेषकर कोनासीमा जिले में, संख्या कितनी है और उनके कवरेज के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(च) आंध्र प्रदेश में कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों का जिला-वार, विशेषकर कोनासीमा जिले में, ब्यौरा क्या है; और
(छ) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर कोनासीमा जिले में, धूसर जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और एसबीएम-जी के अंतर्गत सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] चरण-II एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने-अपने

अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यान्वित किया जाता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति

मंत्रालय, भारत सरकार ग्रेवाटर प्रबंधन सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के तहत आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन आयोजना (एआईपी), पिछले कार्य-निष्पादन और बजट उपलब्धता के आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार/परियोजना-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी एआईपी के अनुसार मांग, स्थानीय वरीयताओं आदि के अनुसार कार्यक्रम के तहत स्वच्छता और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) सुविधाएं प्रदान करने की आयोजना बना सकते हैं।

एसबीएम (जी) चरण-II के तहत, जीडब्ल्यूएम के लिए विभिन्न हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक स्तर पर सोक-पिट, लीच-पिट, मैजिक-पिट या किचन गार्डन का निर्माण, समुदाय/ग्राम स्तर पर अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब/निर्मित आर्द्रभूमि/विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) और फाईटोरिड प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जा सकता है।

एसबीएम (जी)-चरण-II के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

- 5,000 तक की आबादी वाले गांव: प्रति व्यक्ति ₹280 तक
- 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव: प्रति व्यक्ति ₹660 तक

ग्राम स्तरीय ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) गतिविधियों के लिए पात्र धनराशि में से (जिसमें ग्रेवाटर प्रबंधन परिसंपत्तियां शामिल हैं):

- एसबीएम-जी के तहत 70% प्रदान किया जाता है (कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा: अधिकांश राज्यों के लिए 60:40; पूर्वोत्तर / पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10, विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%)।
- ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा उनके 15वें वित्त आयोग (एफसी) के माध्यम से जल और स्वच्छता के लिए निर्धारित सशर्त अनुदानों में से 30% का योगदान दिया जाना चाहिए।

(ख): वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] चरण-II के तहत आवंटित केंद्रीय अंश जारी निधि और उपयोग का विवरण, वर्ष-वार और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 15,995 गांवों में से 15,902 गांवों को तरल कचरा प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर किए जाने की सूचना है और कवरेज के लिए 93 गांवों शेष रहने की सूचना है (22.07.2026 तक)।

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले सहित एलडब्ल्यूएम व्यवस्था के कवरेज की सूचना वाले गांवों का जिला-वार विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://sbm.gov.in/sbmphase2/Secure/Report/SBMPhase2_StarRatingDeclaration_Report.aspx

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश राज्य में सृजित की गई जिला-वार सामुदायिक जीडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों का विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://sbm.gov.in/SBMPhase2/Secure/Report/SBMPhaseII_SWM_GWM_AssetDet_ailsAll.aspx

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश में सृजित की गई जिला-वार व्यक्तिगत ग्रेवाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों का विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://sbm.gov.in/SBMPhase2/Secure/Report/StatusofIndividual_HHL_Assets.aspx

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे शेष गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित करें।

(च): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एसबीएम (जी) आईएमआईएस पर सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 22.07.2026 तक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा सहित जिला-वार ग्रेवाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों की कार्यशीलता स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(छ): स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] चरण-II एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यान्वित किया जाता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन आयोजना (एआईपी), पिछले कार्य-निष्पादन और बजट उपलब्धता के आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार/परियोजना-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मांग, स्थानीय वरीयताओं आदि के अनुसार कार्यक्रम के तहत स्वच्छता और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) सुविधाएं प्रदान करने की आयोजना बना सकते हैं। डीडीडब्ल्यूएस से बजटीय सहायता और संबंधित राज्य के हिस्से के अलावा, शेष निधि की पूर्ति राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के अनुदानों तथा मनरेगा/वीबी-जी राम जी से क्रमबद्ध तरीके से की जानी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं, जैसा भी लागू हो, सीएसआर फंड, एमपीलैड्स/एमएलएलैड्स और व्यवसाय मॉडल के माध्यम से राजस्व सृजन से निधियां जुटा सकते हैं। आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने गांवों में ओडीएफ प्लस (मॉडल) स्थिति हासिल करने के लिए कार्य करें।

एसबीएम (जी) आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर डीडीडब्ल्यूएस द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रगति की निगरानी की जा रही है। विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनके गांवों और जिलों में जीडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों के कवरेज की स्थिति सहित कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की जा सके।

अनुबंध-I

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1900 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] चरण-I के तहत आवंटित केंद्रीय अंश, जारी निधि और उपयोग का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

वित्त वर्ष 2020-21 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आवंटित केंद्रीय अंश**	**जारी किया गया केंद्रीय अंश**	**व्यय**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.43	7.07	4.02
2	आंध्र प्रदेश	393.47	212.27	437.03
3	अरुणाचल प्रदेश	23.40	15.28	38.45
4	असम	542.60	276.81	906.87
5	बिहार	776.94	88.56	797.87
6	छत्तीसगढ़	121 .68	68.43	334.60
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	8.57	1 .65	0.00
8	गोवा	19.24	0.23	1.17
9	गुजरात	499.20	312.56	352.20
10	हरियाणा	220.75	80.60	161 .66
11	हिमाचल प्रदेश	37.88	23.62	27.70
12	जम्मू एवं कश्मीर	64.89	24.89	126.39
13	झारखंड	429.67	153.31	491 .26
14	कर्नाटक	227.75	126.31	315.64
15	केरल	137.01	103.73	212.03
16	लद्दाख	3.93	2.71	2.59
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	493.98	291.48	319.47
19	महाराष्ट्र	340.62	276.75	341 .03
20	मणिपुर	61.29	17.51	10.76
21	मेघालय	226.59	65.41	55.91
22	मिजोरम	21.93	14.05	20.27
23	नागालैंड	57.80	22.17	38.77
24	ओडिशा	58.92	58.92	480.80
25	पुदुचेरी	10.1 1	0.1 1	2.25
26	पंजाब	78.82	65.94	183.27
27	राजस्थान	569.78	229.26	713.10
28	सिक्किम	13.79	6.15	1 1 .95
29	तमिलनाडु	294.67	162.89	254.41
30	तेलंगाना	262.16	46.86	214.17
31	त्रिपुरा	52.00	24.33	60.64
32	उत्तर प्रदेश	1790.48	800.32	1 ,053.79
33	उत्तराखंड	132.36	50.69	94.85
34	पश्चिम बंगाल	675.90	261.31	642.13
कुल		**8663.61**	**3,892.18**	**8,707.05**

वित्त वर्ष 2021-22 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	5.17
2	आंध्र प्रदेश	437.64	58.26	386.82
3	अरुणाचल प्रदेश	23.03	4.10	19.06
4	असम	513.56	256.78	235.63
5	बिहार	651.54	128.01	129.19
6	छत्तीसगढ़	207.58	-	111.03
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	5.75	-	0.14
8	गोवा	61.27	15.32	9.66
9	गुजरात	342.73	171.37	499.61
10	हरियाणा	181.80	29.95	63.52
11	हिमाचल प्रदेश	269.13	41.95	72.82
12	जम्मू एवं कश्मीर	246.98	120.00	64.33
13	झारखंड	148.51	-	166.94
14	कर्नाटक	-	-	246.49
15	केरल	34.68	5.66	73.10
16	लद्दाख	14.25	3.56	2.31
17	लक्षद्वीप	-	-	0.0
18	मध्य प्रदेश	668.96	334.48	396.15
19	महाराष्ट्र	1,372.73	-	273.25
20	मणिपुर	48.34	12.09	35.21
21	मेघालय	165.71	36.56	51.24
22	मिजोरम	17.62	13.22	9.20
23	नागालैंड	18.02	9.01	4.51
24	ओडिशा	-	-	126.05
25	पुदुचेरी	6.89	-	1.65
26	पंजाब	52.87	-	41.64
27	राजस्थान	551.85	275.93	225.28
28	सिक्किम	19.73	4.49	5.38
29	तमिलनाडु	26.29	-	119.84
30	तेलंगाना	180.67	-	6.58
31	त्रिपुरा	84.19	17.14	14.75
32	उत्तर प्रदेश	1,825.85	370.59	657.69
33	उत्तराखंड	78.76	14.25	75.67
34	पश्चिम बंगाल	645.08	135.45	252.20
कुल		**8,902.01**	**2,058.15**	**4382.11**

वित्त वर्ष 2022-23 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.37	0.28	1.51
2	आंध्र प्रदेश	676.79	147.03	274.13
3	अरुणाचल प्रदेश	29.43	14.72	7.87
4	असम	495.71	214.45	253.94
5	बिहार	1,544.86	711.49	639.88
6	छत्तीसगढ़	355.07	177.54	133.30
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	-	0.98
8	गोवा	34.38	25.19	19.01
9	गुजरात	284.68	53.63	102.14
10	हरियाणा	202.77	-	38.84
11	हिमाचल प्रदेश	198.07	38.28	64.79
12	जम्मू एवं कश्मीर	494.20	116.79	132.33
13	झारखंड	300.64	70.03	130.51
14	कर्नाटक	665.34	155.84	142.03
15	केरल	308.04	74.00	15.54
16	लद्दाख	17.30	1.28	2.12
17	लक्षद्वीप	7.40	1.94	0.02
18	मध्य प्रदेश	411.14	184.56	320.02
19	महाराष्ट्र	1,740.11	-	155.00
20	मणिपुर	51.45	12.86	12.02
21	मेघालय	92.13	16.57	35.48
22	मिजोरम	19.67	9.84	9.52
23	नागालैंड	39.44	19.72	14.41
24	ओडिशा	-	-	255.26
25	पुदुचेरी	37.80	-	1.61
26	पंजाब	168.19	42.05	78.68
27	राजस्थान	624.90	288.78	290.84
28	सिक्किम	23.17	5.79	4.25
29	तमिलनाडु	421.10	78.47	144.28
30	तेलंगाना	542.94	-	0.0
31	त्रिपुरा	128.29	28.28	22.31
32	उत्तर प्रदेश	1,529.38	910.23	873.19
33	उत्तराखंड	92.61	37.29	27.97
34	पश्चिम बंगाल	848.16	406.01	427.24
कुल		**12,388.50**	**3,842.95**	**4631.02**

वित्त वर्ष 2023-24 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.75	1.13
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	290.80
3	अरुणाचल प्रदेश	15.81	15.81	23.58
4	असम	417.77	389.77	318.88
5	बिहार	700.00	700.00	739.61
6	छत्तीसगढ़	83.98	83.98	139.63
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.84
8	गोवा	19.61	19.61	21.75
9	गुजरात	109.61	109.61	157.40
10	हरियाणा	0.00	0.00	25.61
11	हिमाचल प्रदेश	42.00	42.00	67.88
12	जम्मू एवं कश्मीर	251.00	241.33	249.61
13	झारखंड	50.00	50.00	117.83
14	कर्नाटक	46.00	42.34	87.46
15	केरल	0.00	0.00	36.22
16	लद्दाख	8.00	5.75	5.29
17	लक्षद्वीप	1.00	0.00	0.57
18	मध्य प्रदेश	113.39	113.39	222.04
19	महाराष्ट्र	110.45	110.45	400.33
20	मणिपुर	5.10	0.00	2.18
21	मेघालय	41.51	20.81	28.76
22	मिजोरम	4.99	4.99	9.45
23	नागालैंड	31.07	31.07	33.13
24	ओडिशा	47.00	46.52	178.36
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	1.53
26	पंजाब	54.81	54.81	66.74
27	राजस्थान	70.00	69.43	131.83
28	सिक्किम	8.88	6.66	8.97
29	तमिलनाडु	239.74	239.74	223.55
30	तेलंगाना	25.00	14.18	23.11
31	त्रिपुरा	71.58	35.79	43.97
32	उत्तर प्रदेश	2519.62	2506.78	2058.26
33	उत्तराखंड	63.75	63.75	57.94
34	पश्चिम बंगाल	720.00	720.00	609.26
कुल		**5,872.66**	**5,739.32**	**6383.5**

वित्त वर्ष 2024-25 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.39	1.60	0.48
2	आंध्र प्रदेश	270.16	75.52	142.36
3	अरुणाचल प्रदेश	14.82	7.41	7.57
4	असम	356.15	105.21	136.06
5	बिहार	475.73	166.51	644.03
6	छत्तीसगढ़	182.10	-	44.89
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.71	-	0.81
8	गोवा	14.32	9.70	20.24
9	गुजरात	200.00	151.40	190.32
10	हरियाणा	100	25.11	20.14
11	हिमाचल प्रदेश	44.17	28.65	53.92
12	जम्मू एवं कश्मीर	245.00	185.00	191.00
13	झारखंड	107.85	-	77.59
14	कर्नाटक	200.00	95.27	95.27
15	केरल	50.0	11.67	38.18
16	लद्दाख	10.20	2.55	3.57
17	लक्षद्वीप	2.70	-	1.07
18	मध्य प्रदेश	242.10	121.05	146.27
19	महाराष्ट्र	463.3	189.14	197.19
20	मणिपुर	2.00	-	11.63
21	मेघालय	107.64	-	10.93
22	मिजोरम	17.68	8.83	10.25
23	नागालैंड	27.59	20.69	21.38
24	ओडिशा	200.00	111.26	110.41
25	पुदुचेरी	5.00	-	0.46
26	पंजाब	92.5	41.30	77.88
27	राजस्थान	230.00	98.18	101.39
28	सिक्किम	14.79	7.61	7.16
29	तमिलनाडु	300	99.56	195.05
30	तेलंगाना	164.07	9.56	9.33
31	त्रिपुरा	75.22	21.78	38.78
32	उत्तर प्रदेश	1,309.40	785.64	1,670.37
33	उत्तराखंड	48.68	8.89	44.95
34	पश्चिम बंगाल	475.51	150.47	505.77
कुल		**6,055.72**	**2,539.55**	**4,826.7**

वित्त वर्ष 2025-26 **(करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.58	0.00	एनए*
2	आंध्र प्रदेश	170.43	170.43	166.45
3	अरुणाचल प्रदेश	10.00	10.00	4.51
4	असम	255.70	255.70	163.46
5	बिहार	550.25	550.25	490.75
6	छत्तीसगढ़	82.00	82.00	68.27
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	2.27	0.57	एनए*
8	गोवा	4.75	4.75	4.57
9	गुजरात	295.00	295.00	249.30
10	हरियाणा	46.50	46.50	9.25
11	हिमाचल प्रदेश	47.00	47.00	46.71
12	जम्मू एवं कश्मीर	195.22	195.22	158.75
13	झारखंड	90.00	90.00	66.79
14	कर्नाटक	105.62	105.62	87.74
15	केरल	28.00	28.00	27.12
16	लद्दाख	8.39	8.39	एनए*
17	लक्षद्वीप	3.32	0.00	एनए*
18	मध्य प्रदेश	118.00	118.00	46.54
19	महाराष्ट्र	511.02	511.02	436.73
20	मणिपुर	13.00	13.00	0.00
21	मेघालय	96.49	96.49	45.28
22	मिजोरम	11.50	11.50	8.85
23	नागालैंड	30.00	30.00	30.00
24	ओडिशा	122.51	122.51	112.91
25	पुदुचेरी	4.78	4.78	4.27
26	पंजाब	49.67	49.67	48.37
27	राजस्थान	215.51	215.51	173.29
28	सिक्किम	15.00	15.00	6.27
29	तमिलनाडु	250.00	250.00	246.91
30	तेलंगाना	45.56	45.56	28.60
31	त्रिपुरा	65.00	65.00	56.73
32	उत्तर प्रदेश	840.00	840.00	577.50
33	उत्तराखंड	24.10	24.10	22.91
34	पश्चिम बंगाल	552.00	552.00	512.45
कुल		**4864.17**	**4844.61**	**3910.24**

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यूसी/एएसए को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध-II

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1900 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित विवरण

दिनांक तक 22.07.2026 एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर सूचना के अनुसार ग्रेवाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों (डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा सहित) की कार्यशीलता स्थिति का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	सामुदायिक ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए उपलब्ध प्रणालियों की संख्या	संसूचित कार्यशीलता	कार्यशील	गैर-कार्यशील
1	अलुरी सीतारमा राजू	492	462	462	0
2	अनाकापल्ली	24	24	24	0
3	अनंतपुरमु	556	530	530	0
4	अन्नमय्या	468	402	402	0
5	बापतला	385	312	312	0
6	चित्तूर	674	540	539	1
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	218	218	218	0
8	पूर्वी गोदावरी	395	344	344	0
9	एलुरु	905	647	646	1
10	गुंटूर	93	92	92	0
11	काकीनाडा	199	196	196	0
12	कृष्णा	488	249	249	0
13	कुरनूल	543	492	492	0
14	नांदयाल	699	614	609	5
15	एनटीआर	198	161	152	9
16	पलनाडु	169	142	142	0
17	पार्वतीपुरममण्यम	645	129	129	0
18	प्रकाशम	82	81	81	0
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लूर	282	280	280	0
20	श्री सत्य साई	704	598	598	0
21	श्रीकाकुलम	950	750	749	1
22	तिरुपति	527	468	468	0
23	विशाखापत्तनम	2	2	2	0
24	विजयनगरम	656	619	619	0
25	पश्चिम गोदावरी	466	453	451	2
26	वाई.एस.आर.	332	182	182	0
		11152	**8987**	**8968**	**19**

[एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार]